न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 306/17 (RCMS No. 2017/00326) (75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

नानगा पुत्र गंगाधर जाति माली निवासी ग्राम कुश्तला तहसील व जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. शिवराज सिंह पुत्र नागसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कुश्तला तहसील व जिला सवाई माधोपुर
2. सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर

.....रैस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व निर्णय उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर निर्णय दिनांक 31.05.2013

उपस्थितिः—

1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री श्रीदास सिंह वकील रैस्पो सं0 1

निर्णय **दिनांकः—08.01.2018**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 31.05.2013 के विरूद्व पेश की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया था कि ख0 नं0 1507 रकवा 3 बीघा 19 विस्वा वांके ग्राम कुश्तला तहसील सवाई माधोपुर में स्थित है। साबिक ख0 नं0 1507 में से दिनांक 27.05.73 को ख0 नं0 1507/1 रकवा 1 बीघा भूमि शिवराज सिंह को आवंटित हुई थी। रैस्पो0 सं0 1 ने साबिक ख0 नं0 1506 रकवा 14 बीघा 3 विस्वा में ख0 नं0 1507/1 रकवा 1 बीघा को समायोजित कर लिया है। साबिक आराजी ख0 नं0 1507 में होकर कदीमी समय से कच्चा रास्ता मालियों की ढाणी में जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के तहत पुख्ता रोड़ हेतु कदीमी रास्ते पर मौके पर रास्ता कायम होने से मिट्टी डालकर खरंजा भी डाल रखा है। मात्र डामर का कार्य बकाया है। आवंटन के संबंध में अपीलान्ट के पिता ने अपील पेश की थी जिसमें आवंटन निरस्त हो गया है। उसके पश्चात भी रैस्पो0 ने कब्जा नही होते हुऐ भी राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवा लिया है। भू प्रबन्ध विभाग ने मुताबिक कब्जा नवीन रिकार्ड तैयार नही किया है। मौके पर हाल ख0 नं0 3058 रकवा 20 एयर, 3059 रकवा 5 एयर में होकर मालियों की ढाणी में जाने का रास्ता बना हुआ है। मौके पर रास्ता होते हुऐ भी भू प्रबन्ध विभाग ने रैस्पो0 सं0 1 का कब्जा नही होते हुऐ भी हाल ख0 नं0 को बिना किसी अधिकार के रैस्पो0 सं0 1 के नाम दर्ज कर दिया है। रैस्पो0 जनहित के उपयोग

Web Copy - Not Official

व उपभोग की भूमि जो रास्ते के उपयोग में आ रही है उसको हड़पने पर आमादा है। अतः प्रा0 पत्र स्वीकार कर ख0 नं0 3058 व 3059 को गै0 मु0 रास्ता दर्ज किया जावे। रैस्पो0 नं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 सीपीसी पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी के संबंध में अपीलान्ट ने पूर्व में दावा संख्या 111/01 नानगा बनाम शिवराज सिंह प्रस्तुत किया था जो दिनांक 28.02.2007 को खारिज कर दिया था। अतः प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 स्वीकार कर प्रार्थना पत्र अपीलान्ट खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्ष को सुनकर यह माना कि पूर्व में दावा दायर किया गया था, जो खारिज हो चुका है। इसलिये Barred by Low मानते हुऐ प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 सीपीसी स्वीकार करते हुऐ, प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि विवादित आराजी ख0 नं0 1507 रकबा 3 बीघा 19 विस्वा में से ख0 नं0 1507/1 रकवा 1 बीघा का रैस्पो0 को आवंटन दिनांक 27.05.73 को हुआ था। ख0 नं0 1507 में होकर कदीमी समय से कच्चा रास्ता मालियों की ढाणी में जाने के लिये बना हुआ है जिस पर खरंजा डला हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट भी तलब की थी। सीमाज्ञान भी किया था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों पर गौर किये बिना ही प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उनका तर्क है कि पूर्व में विचाराधीन दावा सं0 111/01 नानगा बनाम शिवराज वगैरहा उभय पक्ष की सहमति के आधार पर खारिज हुआ था। इस प्रकरण पर आर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के नियम लागू नही होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय में पेश दावे के तथ्य अलग थे तथा इस प्रकरण के तथ्य अलग हैं। इसलिये उक्त नियम लागू नही होता है। अधीनस्थ न्यायलाय ने गलीत तरीके से प्रार्थना पत्र खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मौका व राजस्व अभिलेख के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने भू प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई त्रुटियों पर गौर न करके विधि के मूलभूत प्रावधानों का उल्लंघन किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय नियमों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा ख0 नं0 3058 व 3059 मौके पर रास्ते के उपयोग में आने के कारण रैस्पो0 का नाम हफज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में सिवायचक गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे।

विद्वान वकील रैस्पो0 का तर्क है कि विवादित आराजी ख0 नं0 1507 रकवा 1 बीघा वॉके ग्राम कुश्तला का आवंटन रैस्पो0 को हुआ था। जिसके हाल ख0 नं0 3058 व 3059 बने है। रैस्पो0 विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है। अपीलान्ट ने पूर्व में इसी आराजी से संबंधित एक दावा नानगा बनाम शिवराज पेश किया था जो दिनांक 28.02.07 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। इसलिये अपीलान्ट उसी आराजी के संबंध में पुनः कोई प्रार्थना पत्र पेश कर दुरूस्ती नही करा सकता है। रैस्पो0 ने इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 सीपीसी पेश किया था जो न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर धारा 136 का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की अवैधानिकता नही है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम पेश कर निवेदन किया था कि साबिक ख0 नं0 1507/1 रकवा 1 बीघा भूमि शिवराज सिंह को आवंटित हुई थी। रैस्पो0 सं0 1 ने साबिक ख0 नं0 1506 रकवा 14 बीघा 3 विस्वा में ख0 नं0 1507/1 रकवा 1 बीघा को समायोजित कर लिया है। जबकि साबिक आराजी ख0 नं0 1507 में होकर कदीमी समय से कच्चा रास्ता मालियों की ढाणी में जाता है। आवंटन निरस्त हो चुका है। इसके बाबजूद रैस्पो0 ने कब्जा नही होते हुऐ भी राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवा लिया है। मौके पर हाल ख0 नं0 3058

रकवा 20 एयर, 3059 रकवा 5 एयर में होकर मालियों की ढाणी में जाने का रास्ता बना हुआ है। भू प्रबन्ध विभाग ने रैस्पो0 सं0 1 का कब्जा नही होते हुऐ भी हाल ख0 नं0 को बिना किसी अधिकार के रैस्पो0 सं0 1 के नाम दर्ज कर दिया है। अतः प्रा0 पत्र स्वीकार कर ख0 नं0 3058 व 3059 को गै0 मु0 रास्ता दर्ज किया जावे। रैस्पो0 ने प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 सीपीसी पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्ष को सुनकर Barred by Low मानते हुऐ प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 सीपीसी स्वीकार करते हुऐ, प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम खारिज कर दिया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। पूर्व में विचाराधीन दावा सं0 111/01 नानगा बनाम शिवराज वगैरहा उभय पक्ष की सहमति के आधार पर खारिज हुआ था। पूर्व दावे के प्रकरण में तथा धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र में भिन्नता प्रतीत हो रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का पूर्ण विवेचन कर निर्णय पारित नही किया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण पुनः सुनवाई के लिये रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.05.2013 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण का गहनता से अध्ययन कर, अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर देकर पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकार अधीनस्थ न्यायलाय में दिनांक 12.02.2018 को उपस्थित हों।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official